मिट्टी के तेल की आवश्यकता

4240 **श्री शिवचरण सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मिट्टी के तेल की कुल आवश्यकता कितनी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य को कुल कितना मिट्टी का तेल आबंटित किया जाता है; और

(ग) राजस्थान में मिट्टी के तेल की कमी होने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के **राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा)** : (क) से (ग) एस के ओ एक कमी वाला उत्पाद है। खपत की मात्रा के एक तिहाई से अधिक का आयात किया जाता है। सीमित विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और आयात क्षमता के सीमित होने की वजह से एस के ओ की उपलब्धतता में अड़चन के कारण राज्यों की पूर्ण मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। राजस्थान को आबंटित एस के ओ की पूर्ण मात्रा जारी की जा रही है। वर्ष 1992–93 के लिए मिट्टी के तेल का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1 अप्रैल 1992 से मार्च, 1993 तक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित एस०के०ओ० की कुल मात्रा को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(आंकड़े मि० टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(1992–93) तदर्थ सहित कुल आबंटन
1	2
हरियाणा	151020
हिमाचल प्रदेश	36588
जम्मू और काश्मीर	68992
पंजाब	319304
राजस्थान	265130
उत्तर प्रदेश	914410
चण्डीगढ	20928
दिल्ली	238540
आसाम	246696
बिहार	461393
मणिपुर	20664
मेघालय	15196
नागालैंड	10285
उड़ीसा	155472
सिक्किम	7404
त्रिपुरा	21174
पश्चिमी बंगाल	733757

1	2
अरुणाचल प्रदेश	9300
मिजोरम	6277
अण्डमान और निकोबार	4132
गुजरात	782430
महाराष्ट्र	1482364
गोवा	27132
दीव	1468
दमण	1476
दादर, नागर हवेली	13108
मध्य प्रदेश	382066
आन्ध्र प्रदेश	585480
कर्णाटक	451100
केरल	265008
तामिल नाडु	655344
पांडिचेरी	14580
लक्षद्वीप	870
कुल जमा :	8367070

Report of the CAG of India

4241. SHRI ANANT RAM JAISWAL: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS pleased to state:

(a) whether it is a fact that CAG of India in his report No. 18 (commercial of 1991) has adversely commented on the excessive stock of stores and spares held by the ONGC during the period from 1984-85 to 1990-91; if so, what are the details thereof;

(b) whether it is a fact that Commission took no corrective action in this regard despite the advice of the consultant, if so, who are responsible for violating the said advice and the norms in this regard and what action has been taken against them;

(c) whether the practice of holding excess stores and spares has been stopped, if so, when; and

(d) what is the amount of blocked capital in respect of both stores and spares during the above said period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) In respect of inventory of stores the C&AG of India observed that except in 1984-85 and 1989-90 this was higher than the prescribed norms, resulting in blocked capital. In regard to inventory holdings of spares it was held that this was much higher than the norms prescribed during the period.